न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 51/2009 G.C.M.S. No. 2009/00051 दर्ज दिनांक : 12.10.2009

अपीलार्थिगणः

1. सवाईसिंह पुत्र भैरूसिंह कौम राव राजपूत, निवासी रेवड़िया, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली के कायम मुकामः–
   1. उमराव सिंह पुत्र स्व. सवाईसिंह कौम राव राजपूत, निवासी रेवडिया, तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली।
   2. गजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. सवाईसिंह कौम राव राजपूत, निवासी रेवडिया, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली के कायम मुकामः–
      2/1 हर्षवर्धन पुत्र स्व. गजेन्द्रसिंह
      2/2 राजवर्धन पुत्र स्व. गजेन्द्रसिंह, नाबालिग कुदरती वली शशीकंवर
      2/3 जयवर्धन पुत्र स्व. गजेन्द्रसिंह, नाबालिग कुदरती वली शशीकंवर
      2/4 शशी कंवर पत्नि स्व. गजेन्द्रसिंह
   3. जितेन्द्रसिंह पुत्र स्व. सवाईसिंह कौम राव राजपूत, निवासी रेवडिया, तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली।
   4. लाद कंवर पुत्री स्व. सवाईसिंह पत्नि जगदीश सिंह निवासी कानोड, तहसील कानोड, जिला उदयपुर।
   5. सुरज कंवर पुत्री स्व. सवाईसिंह पत्नि रघुनाथसिंह निवासी नादाणा, तहसील पाली व जिला पाली।
   6. ताज कंवर पुत्री स्व. सवाईसिंह, पत्नि भैरूसिंह, निवासी आसोलिया की मादड़ी, तहसील मावली जिला उदयपुर।

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. गुलाराम पुत्र दुर्गाराम जाति भांबी निवासी रेवडिया तहसील मारवाड़ जंक्शन के कायम मुकामः–
   1/1 सिणगारी पुत्री गुलाराम पत्नि कुनाराम जाति मेघवाल निवासी गांव निंबली पोस्ट निंबली मांडा वाया राणावास तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली।
2. वेनाराम पुत्र दुर्गाराम जाति भांबी निवासी रेवडिया तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली के कायम मुकामः–
   2/1 रमा बेवा वेनाराम
   2/2 प्रभु पुत्र वेनाराम कौम भांबी निवासी रेवडिया तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली के कायम मुकामः–
      2/2/1 पतासी पत्नि प्रभू, जाति भांबी, निवासी रेवडिया, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली।
      2/2/2 चुन्नीलाल पुत्र प्रभू, जाति भांबी, निवासी रेवडिया, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली।
      2/2/3 निर्मललाल पुत्र प्रभू, जाति भांबी, निवासी रेवडिया, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

2/2/4 कमलादेवी पुत्री प्रभू, जाति भांबी निवासी गुड़ासूरसिंह
2/3 शांति पुत्री चेनाराम पत्नि भूराराम, निवासी आंगदोष, तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली।

3. बींजा पुत्र लुम्बाराम कौम भांबी निवासी रेवडिया तहसील मारवाड जंक्शन के कायम मुकामः–
3/1 दाखु बेवा बींजाराम
3/2 लीला पुत्री बींजाराम पत्नि स्वर्गीय भगवानराम,
3/2/1 संगीता पुत्री भगवानराम उम्र 4 वर्ष, कुदरती वली लीला
3/2/2 पप्पू पुत्र भगवानराम उम्र करीब 2 वर्ष, कुदरती वली लीला
3/3 पारसराम पुत्र बींजाराम
3/4 सुखाराम पुत्र बींजाराम
3/5 किशोर राम पुत्र बींजाराम
3/6 पवनी पुत्री बींजाराम
3/7 रेखा पुत्री बींजाराम कौम भांबी साकिन रेवडिया तहसील मारवाड जंक्शन 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया इनकी माता 3/1 दाखु बेवा बींजाराम कौम भांबी साकिन रेवडिया तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली।

4. टीकला पुत्र लुंबाराम कौम भांबी साकिन रेवडिया तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली के कायम मुकामः–
4/1 जमनी पत्नि स्व. टीकला
4/2 माणकराम पुत्र स्व. टीकला
4/3 कैलाशराम पुत्र स्व. टीकला
4/4 प्रहलाद पुत्र स्व. टीकला
4/5 सीता पुत्री स्व. टीकला
4/6 रेखा पुत्री स्व. टीकला तमाम जातिगण भांबी, निवासी रेवडिया, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली।

5. शंकर पुत्र शेरा जाति भांबी निवासी मारवाड जंक्शन मृतक जरिये कायम मुकामः–
5/1 भैराराम पुत्र शंकर
5/2 कालूराम पुत्र शंकर
5/3 सुशीला पुत्री शंकर जातियान भांबी निवासीगण जिनेन्द्र विहार के पीछे, सुभाष चौक मारवाड जंक्शन, तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली।
5/4 शांति देवी पत्नि केसाराम पुत्री शंकर निवासी खारीया नींव, तहसील सोजत जिला पाली।

6. भंवर पुत्र शेरा कौम भांबी निवासी मारवाड़ जंक्शन, तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली।
7. तहसीलदार मारवाड जंक्शन जिला पाली।

<u>अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या (08/1970) 22/1994 बअनवान सवाईसिंह बनाम मृत गुलाराम के का.मु. सिणगारी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.2009</u>

<u>पैरोकार–</u>

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री राजेन्द्र भेवाड़ा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 29.08.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या (08/1970) 22/1994 बअनवान सवाईसिंह बनाम मृत गुलाराम के का.मु. सिणगारी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.2009 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि ग्राम रेवड़ीया के गत खसरा नम्बर 15 जो बेरा बड़लिया अपीलांट के पूर्वजों द्वारा खुदवाया व बंधवाया गया था तथा गत खसरा नम्बर 13, 14, 16 व 17 इस बेरे के जाव है। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 20, 21, 22, 23, 24 व 25 है। जिस पर अपीलांट बहैसियत खातेदार काबिज है तथा पूर्व सेटलमेंट ने गलती से पर्चा लगान दुर्गा पुत्र मररूप, लुम्बा वल्द तारा के नाम लिख दिया। जबकि इनका काश्त कब्जा आज दिन तक नहीं रहा। उक्त बेरे व जमीन का लगान भी शुरू से आज दिन तक अपीलांट की ओर से जमा कराया गया व लगान जब चढ़ा तो भूमीधारी तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन ने नोटिस देकर अपीलांट्स से लगान वसूल किया है। यही नहीं रेस्पोंडेन्ट मृतक गुला के पिता दुर्गाराम ने अपने जीवन काल में कई बार आवेदन तहसीलदार को कर चुका है कि उक्त बेरा व जमीन अपीलांट की खातेदारी व कब्जा काश्त की है व इस आशय की रिपोर्ट भी हल्का पटवारी रेवड़िया व राजस्व निरीक्षक पेश कर चुके हैं। यहां तक दुर्गा को एक बार गलती से हल्का पटवारी ने 43 रूपये की रसीद भी दी। जिसकी खातेदारी उद्घोषणा हेतु अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया। जिसके विरूद्ध रेस्पोंडेन्ट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया व अपीलांट के दावे के तथ्यों को अस्वीकार किया व प्रतिवादीगण ने संवत 2008 के पहले से रेस्पोंडेन्ट्स के पूर्वजों का स्वामित्व व कब्जासुदा जमीन मानी व सेटलमेंट से अपने पक्ष में पर्चा लगान जारी होना बताया। साथ में यह जाहिर किया कि लगान भी रेस्पोंडेन्ट द्वारा अदा किया है। अपीलांट पूर्व जागीरदार व पढ़े–लिखे प्रभावशाली व्यक्ति है। इसलिये दुर्गा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व तहरीर रसीद फर्जी बनाई है। पटवारी व राजस्व निरीक्षक की कब्जा काश्त रिपोर्ट की अपीलांट ने मिलीभगत करके गलत बनाई है। अपीलांट का दावा म्याद बाहर है। संबंधित व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाने व 80 सी.पी. सी. का नोटिस नहीं दिये जाने के अभाव में दावा खारिज करने हेतु निवेदन किया है। जिस पर अपीलांट की ओर से जवाबुल जवाब पेश किया व जवाब दावे के तथ्यों को अस्वीकारा तथा पर्चा लगान पर अपीलांट के हस्ताक्षर तथ्यों को गलत बताया। रेस्पोंडेन्ट के पूर्वजों के कब्जे काश्त के कथन को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अस्वीकार किया। राजस्व लगान की रसीदे आदि को पेश करने से लगान अपीलांट द्वारा अदा करना बताया तथा केशर सिंह व भोपाल सिंह वगैरह दावा से पूर्व गुजर चुके हैं। इसलिये आवश्यक पक्षकार नहीं हैं व तहसीलदार से कोई सहायता अपीलांट ने नहीं मांगी है। इसलिये 80 सी.पी.सी. का नोटिस देने की आवश्यकता नहीं हैं। इस तरह दावे व जवाबदावे के आधार पर 5 तनकीयात कायम की गई। अपीलांट ने तनकी नम्बर 1, 2 व 3 को साबित करने के लिये अपीलांट की ओर से गवाह मिश्रीलाल, भागीरथ, हरिसिंह, दिपसिंह, सवाईसिंह को बतौर साक्ष्य पेश किया। जिसमे पी.डब्लू. 1 सवाई सिह, पी.डब्लू. 2 रामसिंह, पी.डब्लू.3 भंवरलाल, पी.डब्लू. 4 जोरावरसिंह, पी.डब्लू. 5 रामसिह, पी.डब्लू. 6 मदनलाल तथा पी.डब्लू. 7 शैतान सिंह जिन्होंने अपीलांट के कब्जे को स्वीकारा है व शुरू से लगान जमा कराने की ताईद की है। प्रदर्श 1 से 17 लगान की रसीदे तथा चालान प्रदर्श 18 खाद्य विभाग की स्लीप अपीलांट सवाईसिंह के नाम की हैं। वर्ष 1975 की है तथा प्रदर्श 1 लगान रसीद 1965 की है। गिरदावरी स्लीप प्रदर्श 19 से 20 संवत 2014 व सम्वत 2015 की हैं, जिसमें खातेदार सवाईसिंह वगैरह खुद काश्त दर्ज है। प्रदर्श 21 गिरदावरी स्लीप 2017 की हैं, जिसमें सिकमी काश्त सवाईसिंह वगैरह दर्ज है। प्रदर्श 22 सवाईसिंह के नाम का तहसीलदार का नोटिस है जो वर्ष 1982 का है। जिसमें भूमि का कब्जा गुलाराम वगैरह को सुपुर्द करने हेतु लिखा था। प्रदर्श 23 व 43 रूपये की रसीदे जो दुर्गा द्वारा सवाईसिंह को दी गई। प्रदर्श 28 व 29 नकल गिरदावरी संवत 2008, 2010, 2011 व 2012 है। जिसमें केशरसिंह वगैरह काबिज काश्त दर्ज है। इस तरह अपीलांट ने अपने कब्जे की पुष्टि मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से सम्पुष्टि की हैं। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पक्ष में खातेदार डिक्री नहीं देकर कानूनी भारी भूल की हैं। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय ने केवल खातेदारी के आधार पर रेस्पोंडेन्ट का कब्जा मानकर जो अपीलांट का दावा खारिज किया है, वो निर्णय मय डिक्री खारिज करने योग्य है। बाकि खातेदारी तो रेस्पोंडेन्ट की गलत दर्ज हुई हैं। इसी कारण तो अपीलांट को मजबूरन दावा करना पड़ा है। प्रदर्श 1 से 17 जो मूल रसीदे लगान की अपीलांट ने पेश की हैं, उसमें राशि जमा कराने बाबत इन्द्राज सवाईसिंह का है। ऐसी सूरत में लगान वो व्यक्ति क्यों जमा कराएगा जिसका कब्जा ही नहीं हों। रेस्पोंडेन्ट का कब्जा काश्त नहीं था। इसी कारण उसने इस बेरे व जाव की लगान अदायगी नहीं की हैं। अपीलांट ने अपने कब्जे की पुष्टि में प्रदर्श 1 से 32 पेश किये है। प्रदर्श 24 व 25 भी कब्जे की पुष्टि करते हैं। गिरदावरी स्लीप 19, 20, 21 भी अपीलांट के कब्जे के लिये ताईद करते हैं। अपीलांट इस भूमि का वक्त जागीरी खुद काश्त दर्ज था। ऐसी सूरत में जागीरी एक्ट की धारा 10 के तहत व टिनेन्सी की धारा 13 के तहत उक्त भूमि का अपीलांट विधिवत खातेदार काश्तकार है। सेटलमेंट की गलती से रेस्पोंडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

का नाम दर्ज कर दिया, जिसको रद्द कराने व अपीलांट के नाम दर्ज कराने के लिये खातेदारी उद्घोषणा का दावा प्रस्तुत किया है, जो विधिसंगत है। अधिनस्थ न्यायालय ने केवल प्रदर्श डी–1 पर्चा लगान प्रथम सेटलमेंट में दुर्गा वगैरह खातेदार दर्ज है तथा जागीरदार के कॉलम में मनोहर व सवाईसिंह के हस्ताक्षर है, जिसको आधार मानकर दावा खारिज किया है। जबकि प्रथम तो ऐसे हस्ताक्षर अस्वीकार योग्य है। फिर भी अगर हस्ताक्षर है तो उससे कब्जा साबित नहीं होता है। भले ही उस वर्ष में सेटलमेंट के समय दुर्गा वगैरह काश्त करने हेतु मजदूरी पर अपीलांट के यहां आये हों एवं उससे सेटलमेंट चलते वक्त उनकी इन्द्राज गलत तौर पर दर्ज कर दी हों तो उससे इस भूमि के खातेदार सदैव के लिये नहीं बन सकते हैं। कब्जे के अभाव में रेस्पोंडेन्ट ऐसी गलत खातेदारी को कायम नहीं रखा जा सकता है। इसके खण्डन में अपीलांट ने लगातार शांतिपूर्ण ढंग से अपना कब्जा वक्त जागीरी से साबित किया है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कयास के आधार पर यह कहते हुये दावा खारिज किया कि प्रदर्श डी 1 से डी 3 को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। यह कहते हुए तनकी नम्बर 1, 2 व 3 को अपीलांट के विरुद्ध निर्णित की। तनकी नम्बर 4 म्याद बाहर के आधार पर दावा प्रतिवादी के पक्ष में तय किया जबकि उद्घोषणा हेतु कानूनन कोई अवधि नहीं हैं और वैसे अपीलांट ने अपने बयान में इस बात की ताईद की है। 30 वर्षों तक दावा नहीं करने के कारण जब तक अपीलांट को बेदखल नहीं करें, तब तक दावा करने की जरूरत नहीं है। यही नहीं अपीलांट ने अपनी ओर से जो उद्दरण पेश किये, उस पर अपनी ओर से कोई विवेचन नहीं दिया। वैसे कानूनी तौर पर रेस्पोंडेन्ट अपीलांट का कब्जा नहीं हटा सकता। क्योंकि कब्जा लेने की म्याद रेस्पोंडेन्ट के लिये 12 वर्ष की थीं एवं राज्य सरकार की अवधि 30 वर्ष की थी। इस म्याद में कोई कार्यवाही रेस्पोंडेन्ट व भूमिधारी ने नहीं की हैं। इसलिये इन सभी के विरुद्ध अपीलांट का एडवर्स पजेशन के आधार पर हक अधिकार उत्पन्न हो चुका है व रेस्पोंडेन्ट के अधिकार कानूनी तौर पर अवसानित हो चुके हैं। इस कारण भी अपीलांट के पक्ष में खातेदारी उद्घोषणा की डिक्री दी जाना विधिसंगत है। तनकी नम्बर 5 जो रेस्पोंडेन्ट के जिम्मे थीं, उसमें केशरसिंह, भोपालसिंह, मनोहरसिंह व तेजसिंह को पक्षकार नहीं बनाया है। इसलिये दावा खारिज किया जाये। जबकि इनका नाम केवल शासनदार/जागीरदार ही दर्ज था। जबकि कब्जा काश्त सवाईसिंह का था। इसलिये इनको पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं थीं। चूंकि सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा अपीलांट का है एवं पूरी भूमि हेतु दावा किया है। इसलिये इसकी पुष्टि में अपीलांट की ओर से उद्धरण भी प्रस्तुत किया, लेकिन उस पर अपनी ओर से कोई विवेचन नहीं दिया एवं मन माफिक निर्णय व डिक्री पारित की हैं। जिसे निरस्त करना न्यायसंगत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् वादपत्र वर्ष 1970 में प्रस्तुत किया। जो दिनांक 24.03.1970 को वाद संख्या 08/1970 पर दर्ज होकर दिनांक 09.09.1976 को जरिये अबेटमेंट खारिज हुआ। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील दर्ज होकर स्वीकार होकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया गया, जो नये सिरे वाद संख्या 22/1994 पर दिनांक 18.04.1994 को दर्ज रजिस्टर किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.09.2009 को निर्णित व डिक्री किया जाकर खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध वादी अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गयी।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की समुचित सुनवाई साक्ष्य उपरान्त विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया। अतः आज्ञापक प्रक्रियागत प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है।
3. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में दावा व जवाबदावा के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गये है, अतः प्रकरण का विवाद्यकवार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये विवेचन व निर्णयन के अनुरूप ही वांछित अनुतोष, प्रस्तुत साक्ष्य का संगत विधिक प्रावधानों के आलोक में पृथक–पृथक विवेचन एवं निर्णयन करते हुए प्रकरण अंतिम रूप से निर्णित किया जाना पूर्णतयाः विधि सम्मत व उचित होगा, जो निम्नानुसार है:–

विवाद्यक संख्या 01:– आया वादस्त कृषि भूमि बेरा व जाव पर वादी का बहैसियत खातेदार मुतवातिर काबिज है?.....जिम्मेवादी

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह विवाद्यक वादी के विरूद्ध निर्णित किया है। वादी द्वारा मुख्य रूप से यह दावा किया गया कि वादग्रस्त आराजी भू–प्रबन्ध से पूर्व से वादी की खातेदारी कब्जेकाश्त की आराजी रही है, वादी द्वारा लगान जमा करवाया जाता है, मुतवफी दुर्गा अपने जीवन काल में कई दरख्वास्ते इस आश्य के पेश कर चुका है कि यह जमीन व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

बेरा वादी की खातेदारी की है। वादी के कब्जेकाश्त बाबत् पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक रिपोर्ट कर चुके है। प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रदर्श 1 से 17 लगान अदायगी की रसीदे तथा चालान है। प्रदर्श 1 रसीद तारीख 04.06.1965 की है। उक्त समस्त रिकॉर्ड वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा वादी द्वारा निरन्तर लगान जमा करवाया गया है। प्रदर्श 18 खाद्य विभाग द्वारा जारी स्लिप वादी के नाम वर्ष 1975–'76 में जारी हुई जिसमें बेरा वलदिया अंकित है। प्रदर्श 19 से 21 गिरदावरी की प्रतियां। प्रदर्श 24 व 25 वादी के कब्जेकाश्त बाबत् टिप्पणी। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत सेटलमेंट विभाग द्वारा जारी पर्चा लगान संवत् 2010 से 2019 प्रदर्श डी–1, प्रदर्श डी–2 पर्चा खतौनी तथा प्रदर्श डी–3 व डी–4 सेटलमेंट द्वारा जारी पर्चा नोटिस खतौनी तथा प्रदर्श डी–5 से डी–12 नकल जमाबंदी व गिरदावरी प्रदर्श डी–13 नकल खसरा बंदोबस्त गिरदावरी सवंत् 2004–05 तथा प्रदर्श डी–14 खसरा गिरवादी संवत् 2021–24 है।

प्रकरण में महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जहां वादी द्वारा यह दावा किया गया कि वादग्रस्त आराजी भू–प्रबंध पूर्व से उसके खातेदारी व काब्जेकाश्त की है तथा भू–प्रबंध विभाग द्वारा गलत रूप से प्रतिवादी के नाम पर्चालगान जारी कर खातेदार के रूप में गलत दर्ज कर दिया गया। उक्त विवाद्यक को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का समुचित विवेचन किये बिना केवल इस आधार पर निर्णित किया गया कि खतौनी बन्दोबस्त में प्रतिवादी खातेदार दर्ज है, के आधार पर यह विवाद्यक वादी के विरूद्ध निर्णित किया गया जबकि वादी द्वारा वस्तुतः खतौनी बन्दोबस्त की प्रवृष्टि को त्रुटिपूर्ण व विधिविरूद्ध माना है।

प्रदर्श 24 के अंकनानुसार प्रतिवादी दुर्गा पुत्र मनरूप द्वारा तहसीलदार खारची को दिनांक 29.12.67 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की रकम बकाया है जो वसूल की जानी है, यह है कि प्रार्थी का कभी–भी बेरा बडलिया सरहद मौजा रेवडिया पर कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा, उपरोक्त बेरा पर श्री सवाईसिंह का ही काश्त है। अतः उस रकम श्री सवाईसिंह रेवडिया से वसूल फरमावें, से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादी का कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा तथा ऐसा उसके स्वयं द्वारा स्वीकार किया गया। पर्चा खतौनी प्रदर्श डी–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त पर्चा भू–प्रबंध विभाग द्वारा प्रतिवादी के नाम जारी किया गया। प्रदर्श डी–6 खतौनी बन्दोबस्त के अनुसार प्रतिवादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया। तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आगामी जमांबदियों में प्रतिवादी का नाम बदस्तुर जारी रहा। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य रसीद लगान अदायगी प्रदर्श 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात की 1965 से 1984 तक लगान का भुगतान वादी द्वारा किया गया। इसी प्रकार वादग्रस्त आराजीयात की खसरा गिरदावरी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

संवत् 2014 प्रदर्श 19, संवत 2015 प्रदर्श 20, संवत् 2017 प्रदर्श 21 के अंकनानुसार वादग्रस्त आराजीयात को वादी का कब्जाकाश्त दर्ज है। इसी प्रकार खसरा गिरदावरी संवत् 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 प्रदर्श 28 से 31 के अंकनानुसार वादग्रस्त आराजीयात वादी सवाई सिंह के कब्जेकाश्त व खुदकाश्त के रूप में दर्ज है। इसी प्रकार प्रदर्श 37 खसरा गिरदावरी संवत् 2026–2028 के अंकन एवं कॉलम संख्या 41 में अंकिन नोट के अनुसार इस खसरा नंबर पर काश्त व कब्जा सवाईसिंह पुत्र भैरूसिंह राव राजपूत का संवत् 2012 से काश्त व कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के लागू होने के पूर्व से वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जाकाश्त व उपयोग–उपभोग वादी का होना तथा लगान व बिगौड़ी आदि का भुगतान वादी द्वारा किया जाना निर्विवाद है। ऐसी स्थिति में प्रथम भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान प्रतिवादी के नाम पर्चा खतौनी जारी करना तथा प्रतिवादी को बंदोबस्त कार्यवाही के दौरान बतौर खातेदार दर्ज करना पूर्णतयाः विधि विरूद्ध है। भू–प्रबंध अधिकारियों द्वारा बिना कोई कारण व आधार प्रकट किये वादग्रस्त आराजीयात का पर्चा खतौनी प्रतिवादी के नाम जारी किया गया तथा प्रतिवादी को खातेदार के रूप में दर्ज किया गया। अतः उक्त विवाद्यक प्रस्तुत साक्ष्य से वादी के पक्ष में बखूबी साबित होता है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त गौर किये बिना तथा कारण व आधार प्रकट किये बिना उक्त विवाद्यक के संबंध में किया गया विनिश्चय स्वीकार योग्य नहीं है। लिहाजा इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त करते हुए यह विवाद्यक बखूबी साबित होने से अपीलाण्ट वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 02:– क्या मुतवफी दुर्गा वल्द तारा कौम भांबी साकिन रेवडिया तहसील खारची व मुतवफी बेरा का नाम गलती से पूर्व सेंटलमेंट में धारा पर्चा लागान लिख दिया गया लेकिन आज दिन तक उपरोक्त वादस्त कृषि भूमि बेरा जाव पर नहीं रहा? न ही उस पर प्रतिवादीगण का काश्तकब्जा है ?.....जिम्मेवादी

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन के आधार पर यह अंकित करते हुए कि विवादित भूमि पर मुतवफी दुर्गा वगैरह का कब्जाकाश्त ना हो वादी सिद्ध नहीं कर सका अंकित करते हुए वादी के विरूद्ध निर्णित की गयी है।

विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन व निर्णयन तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विशेष रूप से बिगौडी व लगान रसीदें तथा खसरा गिरदावरियां एवं प्रतिवादी दुर्गा द्वारा तत्कालीन तहसीलदार खारची को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिनका विस्तृत विवेचन विवाद्यक संख्या 1 में किया गया है, से यह निर्विवाद रूप से स्थापित है कि वादग्रस्त आराजीयात

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

पर भू–प्रबंध पूर्व अर्थात् संवत 2010 से निरन्तर वादी अपीलाण्ट का कब्जाकाश्त है। भू–प्रबंध पश्चात् भी जब प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजीयात की पर्चा खतौनी में खातेदार दर्ज किया गया के पश्चात् कि खसरा गिरदावरियों में कब्जाकाश्त वादी का होना बखूबी स्पष्ट है। इसी प्रकार प्रदर्श 22 तहसीलदार द्वारा दिनांक 18.10.1982 को वादी को जारी नोटिस से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात पर वादी का कब्जा काश्त था। प्रतिवादीगण रेस्पोडेण्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात पर कभी कब्जाकाश्त रहा हो, न ही प्रतिवादीगण द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए कब्जा प्राप्त करने बाबत् कोई कार्यवाही किये जाने कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है। अतः उक्त विवाद्यक बखूबी साबित होने से इसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकट अभिमत व निर्णय को अपास्त करते हुए इसे वादीगण अपीलाण्ट के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 03:– आया वादी वादस्त कृषि भूमि उसके खातेदारी हक की घोषणा करवाने का अधिकारी है ?.....जिम्मेवादी

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक संख्या 1 के वादी के विरूद्ध निर्णित होने के आधार पर इसे भी वादी के विरूद्ध निर्णित किया गया।

पूर्व विवेचित व निर्णित विवाद्यक संख्या 1 व 2 के विवेचन तथा प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य जिनका विस्तृत विवेचन विवाद्यक संख्या 1 व 2 में किया जा चुका है, से यह सुस्थापित है कि वादग्रस्त आराजीयात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 प्रवृत होने के पूर्व से अर्थात संवत् 2010 के पूर्व से वादीगण के कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग में होना र्निविवाद है। वादग्रस्त आराजीयात पर संवत 2010 के पूर्व व पश्चात् से वर्तमान तक कभी भी प्रतिवादीगण का काब्जाकाश्त नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादीगण का किसी भी रूप में कोई भी हक व अधिकार तथा खातेदारी अधिकार सृजित नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में भू–प्रबंध अधिकारियों द्वारा भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान बिना किसी आधार व बिना किसी कारण के पर्चा खतौनी में प्रतिवादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जाना वस्तुतः पूर्णतया विधिविरूद्ध व त्रुटिपूर्ण था, पर्चा खतौनी के आधार पर आगामी जमाबंदी चौसाला में वादी का नाम बदस्तुर बतौर खातेदार दर्ज रहा है, जोकि स्पष्ट त्रुटिपूर्ण प्रवृष्टि है। भू–प्रबंध अधिकारियों को खातेदारी अधिकार प्रदान करने या खातेदारी अधिकार समाप्त करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं होता है। विवाद्यक संख्या 1 में विवेचित साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व ही जागीर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

भूमि रही हैं तथा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विशेष रूप से रसीद लगान अदायगी प्रदर्श 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात की 1965 से 1984 तक लगान का भुगतान वादी द्वारा किया गया। इसी प्रकार वादग्रस्त आराजीयात की खसरा गिरदावरी संवत् 2014 प्रदर्श 19, संवत 2015 प्रदर्श 20, संवत् 2017 प्रदर्श 21 के अंकनानुसार वादग्रस्त आराजीयात को वादी का कब्जाकाश्त दर्ज है। इसी प्रकार खसरा गिरदावरी संवत् 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 प्रदर्श 28 से 31 के अंकनानुसार वादग्रस्त आराजीयात वादी सवाई सिंह के कब्जेकाश्त व खुदकाश्त के रूप में दर्ज है। इसी प्रकार प्रदर्श 37 खसरा गिरदावरी संवत् 2026–2028 के अंकन एवं कॉलम संख्या 41 में अंकिन नोट के अनुसार इस खसरा नंबर पर काश्त व कब्जा सवाईसिंह पुत्र भैरूसिंह राव राजपूत का संवत् 2012 से काश्त व कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार उक्त आराजीयात जागीर भूमि होना तथा वादी अपीलांट के स्वयं काश्त में होना तथा वादी द्वारा लगान आदि का भुगतान किया जाना अभिलेख से साबित है। अर्थात वादग्रस्त आराजीयात वादी की खुदकाश्त भूमि की श्रेणी में आती हैं। अतः जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रवर्तन के साथ ही वादी को वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थें। जिनकी घोषणा करवाने का वादी कानूनन अधिकारी है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा यह भी आक्षेप किया कि प्रतिवादीगण रेस्पोडेण्ट अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्य है तथा वादी अपीलाण्ट गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। इस कारण प्रकरण धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से बाधित होने से वादी खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं करवा सकता। जिसका विद्वाना अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा खण्डन किया गया। इस संबंध में हमारा यह विन्रम अभिमत है कि चूंकि वादग्रस्त आराजीयात पर वादी अपीलाण्ट संवत् 2010 व इसके पूर्व से बतौर खातेदार कब्जाकाश्त व उपयोग–उपभोग में है, जिसे कभी भी बेदखल नहीं किया गया तथा भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान पर्चा खतौनी में प्रतिवादी का नाम बतौर खातेदार विधिविरूद्ध रूप से दर्ज किया गया, जबकि वादी बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रवर्तन के साथ ही खातेदार अभिधारी बन चुका था। ऐसी स्थिति में धारा 42 बी वर्जना हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होती है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183बी तथा 175 के अन्तर्गत कब्जा प्राप्त करने तथा बेदखली के विहित परिसीमा अवधि भी समाप्त हो चुकी है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर 1994 (1) आर.बी.जे. 50 खुमानमल बनाम भैरू डी.बी.सी. रिट याचिका संख्या 2321/82 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.08.1994 में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्रकट मत अवलोकनीय है। जिसके अनुसार " Section 88 of the rajasthan tenancy act – Acquires khatedari right provided the acquisition is not prohibited by law and possession over the land is in accordance with law. Adverse possession – Period of limitation – 12 years of private party and 30 years for state."

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह सुस्पष्ट है कि यह तनकीयात वादी अपीलांट द्वारा बखूबी साबित की गई हैं तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक के संबंध में पारित निर्णय व अभिमत स्वीकार योग्य नहीं हैं। लिहाजा, इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अभिमत को अपास्त करते हुए यह विवाद्यक बखूबी साबित होने से वादी अपीलांट के पक्ष में व रेस्पोंडेंट प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती हैं।

विवाद्यक संख्या 04:– आया वाद म्याद बाहर?...जिम्मेप्रतिवादी

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी रेस्पोंडेंट की थीं। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह विवाद्यक वादपत्र म्याद बाहर मानते हुए वादी के विरूद्ध व प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित किया गया, के संबंध में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि चूंकि वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वादपत्र धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत खातेदारी अधिकारों की घोषणा के अनुतोष के लिए था तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की तृतीय अनुसूची के प्रावधान अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत करने के लिए अधिनियम में कोई परिसीमा निर्धारित नहीं की गई हैं। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रावधानों का अवलंब लिए उक्त विवाद्यक विधिविरूद्ध रूप से वादी अपीलांट के विरूद्ध निर्णित किया है। जो समर्थन योग्य नहीं हैं। चूंकि खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए वादपत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई परिसीमा निर्धारित नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वादपत्र किसी भी म्याद/परिसीमा से बाधित/वर्जित नहीं हैं। अतः उक्त विवाद्यक वादी अपीलांट के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध बखूबी साबित होता है। अतः इस विवाद्यक के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकट अभिमत व पारित निर्णय अपास्त करते हुए यह विवाद्यक बखूबी साबित होने से प्रतिवादीगण रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध तथा अपीलांट वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 05:– आया केसरसिंह, भोपालसिंह, मनोहरसिंह पि. रणजीतसिंह तथा तेजसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह वाद में आवश्यक पक्षकार है, उनकों पक्षकार बनाये बगैर यह वाद नहीं चल सकता?..... जिम्मेप्रतिवादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण रेस्पोंडेंट्स की थीं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक प्रकरण में केसरसिंह, भोपालसिंह, मनोहरसिंह वगैरह हितबद्ध पक्षकार मानते हुए उन्हें पक्षकार नहीं बनाने के आधार पर यह विवाद्यक प्रतिवादीगण के पक्ष में तथा वादी अपीलांट के विरूद्ध निर्णित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम तो न तो प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा व साक्ष्य आदि से तथा न ही विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट व साबित किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात व हस्तगत प्रकरण में वादी के अलावा किस प्रकार से दीगर व्यक्ति आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार है। अतः ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार व कारण के उक्त विवाद्यक प्रतिवादीगण के पक्ष में बखूबी साबित मानते हुए इसी अनुरूप निर्णित करने में भूल की हैं। जो पुष्टियोग्य नहीं हैं। हमारे विनम्र मत में प्रथम तो किसी प्रतिवादी के इस आक्षेप पर कि किसी अन्य व्यक्ति को पक्षकार नहीं बनाया, के आधार पर वादपत्र खारिज नहीं किया जा सकता। यदि कोई हितबद्ध व्यक्ति होगा, तो वह वादपत्र प्रस्तुत करने व वांछित अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होता है। साथ ही हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण यह स्पष्ट व साबित करने में असफल रहे हैं कि किस प्रकार से वादी के अतिरिक्त दीगर व्यक्ति प्रभावित व हितबद्ध पक्षकार है ? अतः उक्त विवाद्यक प्रतिवादीगण रेस्पोंडेंट्स द्वारा बखूबी साबित नहीं किया गया है। अतः इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रकट अभिमत को अपास्त करते हुए उक्त विवाद्यक बखूबी साबित नहीं होने से रेस्पोंडेंट प्रतिवादीगण के विरूद्ध तथा वादी अपीलांट के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

4. अतः उपर्युक्त विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन के आधार पर हमारा विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजीयात संवत 2010 के पूर्व से व पश्चात से निरंतर वादी अपीलांट के कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग में होने, वादग्रस्त आराजीयात जागीर भूमि की श्रेणी में आने, जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 प्रवर्तन में आने के पूर्व से वादग्रस्त आराजीयात की लगान का भुगतान वादी अपीलांट द्वारा किया जाने तथा प्रस्तुत खसरा गिरदावरियों व दीगर साक्ष्य के अनुसार वादी द्वारा बतौर काश्तकार काबिज काश्त होने, प्रतिवादी कभी भी वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज काश्त व उपयोग–उपभोग में नहीं होने, कभी भी लगान आदि का भुगतान नहीं करने, प्रतिवादीगण जागीर भूमि पर बतौर कृषक/उपभोक्ता/उपकृषक या शिकमी आदि दर्ज नहीं होने तथा प्रतिवादी के पक्ष में किसी भी सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय का आदेश/निर्णय नहीं होने तथा बिना किसी आधार व बिना किसी कारण के भूप्रबंध कार्यवाही के दौरान प्रतिवादी का नाम वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज कर देने तथा ऐसी प्रविष्टियां आरंभतः शून्य होने एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

वादग्रस्त आराजीयात में जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रवर्तन के साथ ही वादी अपीलांट को बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने से वादी अपीलांट खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी होने से वादपत्र बहक वादी बखूबी साबित होने से तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित होने एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री समर्थन योग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए अपीलांट वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार अभिधारी घोषित करते हुए वादपत्र निर्णित व डिक्री किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन के आधार पर अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं, अधीनस्थ विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या (08/1970) 22/1994 बअनवान सवाईसिंह बनाम मृत गुलाराम के का.मु. सिणगारी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.2009 को अपास्त करते हुए वाद वादीगण बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम रेवड़िया, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली में स्थित वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 20, 21, 22, 23, 24, 25 की आराजीयात पर वादी अपीलांट को खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है। भू–अभिलेख में दर्ज प्रतिवादीगण रेस्पोंडेंट का नाम विलोपित करते हुए वादी अपीलांट को बतौर खातेदार दर्ज किया जावें। संबंधित तहसीलदार इसी मुताबिक अमल दरामद करें। वादपत्र इसी मुताबिक निर्णित व डिक्री किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हों, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.08.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

29/08/2025

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री ब सीगे अपील

(आदेश 41 नियम 35 व्यवहार प्रक्रिया संहिता)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

बइजलास डॉ. भास्कर बिश्नोई (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या : 51/2009 G.C.M.S. No. 2009/00051 दर्ज दिनांक : 12.10.2009

अपीलार्थिगणः

1. सवाईसिंह पुत्र भैरूसिंह कौम राव राजपूत, निवासी रेवड़िया, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली के कायम मुकामः–
   1. उमराव सिंह पुत्र स्व. सवाईसिंह कौम राव राजपूत, निवासी रेवडिया, तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली।
   2. गजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. सवाईसिंह कौम राव राजपूत, निवासी रेवडिया, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली के कायम मुकामः–
      2/1 हर्षवर्धन पुत्र स्व. गजेन्द्रसिंह
      2/2 राजवर्धन पुत्र स्व. गजेन्द्रसिंह, नाबालिग कुदरती वली शशीकंवर
      2/3 जयवर्धन पुत्र स्व. गजेन्द्रसिंह, नाबालिग कुदरती वली शशीकंवर
      2/4 शशी कंवर पत्नि स्व. गजेन्द्रसिंह
   3. जितेन्द्रसिंह पुत्र स्व. सवाईसिंह कौम राव राजपूत, निवासी रेवडिया, तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली।
   4. लाद कंवर पुत्री स्व. सवाईसिंह पत्नि जगदीश सिंह निवासी कानोड, तहसील कानोड, जिला उदयपुर।
   5. सुरज कंवर पुत्री स्व. सवाईसिंह पत्नि रघुनाथसिंह निवासी नादाणा, तहसील पाली व जिला पाली।
   6. ताज कंवर पुत्री स्व. सवाईसिंह, पत्नि भैरूसिंह, निवासी आसोलिया की मादड़ी, तहसील मावली जिला उदयपुर।

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. गुलाराम पुत्र दुर्गाराम जाति भांबी निवासी रेवडिया तहसील मारवाड़ जंक्शन के कायम मुकामः–
   1/1 सिणगारी पुत्री गुलाराम पत्नि कुनाराम जाति मेघवाल निवासी गांव निंबली पोस्ट निंबली मांडा वाया राणावास तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली।
2. वेनाराम पुत्र दुर्गाराम जाति भांबी निवासी रेवडिया तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली के कायम मुकामः–
   2/1 रमा बेवा वेनाराम
   2/2 प्रभु पुत्र वेनाराम कौम भांबी निवासी रेवडिया तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली के कायम मुकामः–
      2/2/1 पतासी पत्नि प्रभू, जाति भांबी, निवासी रेवडिया, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली।
      2/2/2 चुन्नीलाल पुत्र प्रभू, जाति भांबी, निवासी रेवडिया, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली।

Scanned with OKEN Scanner

2/2/3 निर्मललाल पुत्र प्रमू, जाति भांबी, निवासी रेवडिया, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली।

2/2/4 कमलादेवी पुत्री प्रमू, जाति भांबी निवासी गुडासूरसिंह

2/3 शांति पुत्री वेनाराम पत्नि भूराराम, निवासी आंगदोष, तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली।

3. बींजा पुत्र लुम्बाराम कौम भांबी निवासी रेवडिया तहसील मारवाड जंक्शन के कायम मुकामः–

3/1 दाखु बेवा बींजाराम

3/2 लीला पुत्री बींजाराम पत्नि स्वर्गीय भगवानराम,

3/2/1 संगीता पुत्री भगवानराम उम्र 4 वर्ष, कुदरती वली लीला

3/2/2 पप्पू पुत्र भगवानराम उम्र करीब 2 वर्ष, कुदरती वली लीला

3/3 पारसराम पुत्र बींजाराम

3/4 सुखाराम पुत्र बींजाराम

3/5 किशोर राम पुत्र बींजाराम

3/6 पवनी पुत्री बींजाराम

3/7 रेखा पुत्री बींजाराम कौम भांबी साकिन रेवडिया तहसील मारवाड जंक्शन 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया इनकी माता 3/1 दाखु बेवा बींजाराम कौम भांबी साकिन रेवडिया तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली।

4. टीकला पुत्र लुंबाराम कौम भांबी साकिन रेवडिया तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली के कायम मुकामः–

4/1 जमनी पत्नि स्व. टीकला

4/2 माणकराम पुत्र स्व. टीकला

4/3 कैलाशराम पुत्र स्व. टीकला

4/4 प्रहलाद पुत्र स्व. टीकला

4/5 सीता पुत्री स्व. टीकला

4/6 रेखा पुत्री स्व. टीकला तमाम जातिगण भांबी, निवासी रेवडिया, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली।

5. शंकर पुत्र शेरा जाति भांबी निवासी मारवाड जंक्शन मृतक जरिये कायम मुकामः–

5/1 भैराराम पुत्र शंकर

5/2 कालूराम पुत्र शंकर

5/3 सुशीला पुत्री शंकर जातियान भांबी निवासीगण जिनेन्द्र विहार के पीछे, सुभाष चौक मारवाड जंक्शन, तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली।

5/4 शांति देवी पत्नि केसाराम पुत्री शंकर निवासी खारीया नींव, तहसील सोजत जिला पाली।

6. भंवर पुत्र शेरा कौम भांबी निवासी मारवाड़ जंक्शन, तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली।

7. तहसीलदार मारवाड जंक्शन जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या (08/1970) 22/1994 बअनवान सवाईसिंह बनाम मृत गुलाराम के का.मु. जसकी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.2009

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट तथा श्री राजेन्द्र मेवाड़ा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स पेश होकर हुक्म दिया जाता है, कि अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं, तथा अधीनस्थ विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या (08/1970) 22/1994 बअनवान सवाईसिंह बनाम मृत गुलाराम के का.मु. सिणगारी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.2009 को अपास्त करते हुए वाद वादी बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम रेवड़िया, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली में स्थित वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 20, 21, 22, 23, 24, 25 की आराजीयात पर वादी अपीलांट को खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है। भू–अभिलेख में दर्ज प्रतिवादीगण रेस्पोंडेंट का नाम विलोपित करते हुए वादी अपीलांट को बतौर खातेदार दर्ज किया जावें। संबंधित तहसीलदार इसी मुताबिक अमल दरामद करें। वादपत्र इसी मुताबिक डिक्री किया जाता है। बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज दिनांक 29.08.2025 को जारी किया गया।

29/08/2025

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

मुहर अदालत

मददई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा मतफर्रिक	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मीजान	शून्य	शून्य	मीजान	शून्य	शून्य

Scanned with OKEN Scanner